प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

पत्रांक : 733 / वि0का0 / 2012–13 लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर–2012

विषयः– **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत स्टेबिलिशमेन्ट आफ़ इन्टीग्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग थ्रो फ़ारमर्स आर्गेनाईज़ेशन, आगरा की विशेष परियोजना हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या–13 से मैचिंग राज्यांश की द्वितीय किश्त की शार्टफाल की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–1638 / 38–6–2011–04एसजीएसवाई / 07, दिनांक 20–09–2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–13 सामान्य मद के अन्तर्गत हुई बजट व्यवस्था की धनराशि से बैफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तुत स्टेबिलिशमेन्ट आफ़ इन्टीग्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग थ्रो फ़ारमर्स आर्गेनाईज़ेशन, आगरा की विशेष परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्टफाल की धनराशि रू0 29.87 लाख (रू0 उन्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र) जनपद–आगरा को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 29.87 लाख (रू0 उन्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र) आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–''2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के075 / रा025–रा0)–27–सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग रु0 69.78 लाख हो जायेगा।

8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।

9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0–193 पर कर ली गई है।

भवदीय,

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(अनिल गर्ग)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 733 /वि0का0/2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मण्डलायुक्त, आगरा।
5. संयुक्त विकास आयुक्त, आगरा।
6. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
7. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा।
8. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9. राज्य योजना आयोग–1/2 उ0प्र0 शासन।
10. उप सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0–1638/38–6–2011–04एसजीएसवाई/07, दिनांक 20–09–2012 के संदर्भ में।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. कोषाधिकारी, आगरा।
13. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

10/X/12

(यू0 एन0 उपाध्याय)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

Mehdi.doc.12

(1)

आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश
शिविर कार्यालय
प्राप्ति तिथि 20-9-12
संख्या 6358/RD/ARO/12
निर्गमन तिथि 01-10-12

660/अ.आ.(लेखा)/12
3.10.12

संख्या–1638 / 38–6–2011–04एसजीएसवाई / 07

प्रेषक,

अवधेश नारायण
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2012

विषयः– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्टेबिलिशमेन्ट आफ इन्टीग्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग थ्रो फारमर्श आर्गेनाइजेशन, आगरा की विशेष परियोजना हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या–13 से मैचिंग राज्यांश की द्वितीय किस्त की शार्टफाल की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–913 / वि.का. / 2011–12 दिनांक 10 मई 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–जे–17015 / 05 / 2007–एसजीएसवाई–।। (एसपी), दिनांक 16 अप्रैल, 2008 द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तुत स्टेबलिशमेण्ट आफ इन्टीग्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग थ्रो फारमर्श आर्गेनाइजेशन, आगरा की विशेष परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए रू0–477.88 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें से केन्द्रांश रू0–358.41 लाख एवं राज्यांश रू0–119.47 लाख (75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश) निर्धारित की गयी तथा तीन किस्त में 25:50:25 के अनुपात में स्वीकृत किए जाने का प्राविधान किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0–89,60,000 / – अवमुक्त किये गये जिसके सापेक्ष राज्यांश की मैचिंग धनराशि रू0–29,86,750 / – (सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में रू0–14,93,375 / – तथा एस.सी.एस.पी.मद अनुदान संख्या–83 में रू0–14,93,375 / – ) अवमुक्त की जा चुकी है।

2. भारत सरकार के पत्र दिनॉक 11 फरवरी,2011 द्वारा उक्त परियोजना हेतु द्वितीय किस्त के रूप में केन्द्रांश रू0–1,79,20,500 / – (रूपये एक करोड़ उन्नासी लाख बीस हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी हैं। अतः केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की कुल धनराशि रू0–59.74,000 / – में से सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में रू0–29,87,000 / – (रूपये उन्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की शार्टफाल की धनराशि वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–13 में हुई बजट व्यवस्था से धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये संबंधित अधिकारी यथास्थिति

अ.आ.(लेखा)
28/9/12
F&AO (ग्रामीण) / श्री राजीव अवस्थी
01.10.12

पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही मैचिंग राज्यांश की शार्टफाल की धनराशि रू0–रू0–29,87 000/– (रूपये उन्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र)में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपद आगरा को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी, आगरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जिला सेक्टर में योजनान्तर्गत निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा योजना में यथासमय तृतीय किस्त प्राप्त हो सके।

(4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(5) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक अनुदान संख्या–13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800– अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना)(के.75/रा.25–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 के अशा. संख्या–ई–2–657/दस–2012 दिनांक 20 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अवधेश नारायण )
उप सचिव।

संख्या–1638(1)/38–6–2011 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,/परियोजना निदेशक, DRDA आगरा।
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
6. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवधेश नारायण )
उप सचिव।